31.1.2022	वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली में बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली बाद बहस दावा वादी डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.02.22 17:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

मु0न0	आर.सी.एम.एस.नं.	ता0 रजू
18/19	2019/00050	19.06.19

पीठासीन अधिकारीः—श्री धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

उनवान

मौहम्मद अशरफ पुत्र गुलाम गौस आयु 50 साल जाति मुसलमान निवासी पठान खिडकिया चटीकना बाजार करौली तहसील व जिला करौली राज.

— वादीगण

बनाम

1. शेरयार खॉन पुत्र गुलाम गौस आयु 62 साल जाति मुसलमान निवासी शिकारगंज पेट्रोल पंप के पास करौली तहसील व जिला करौली राज.
2. नौशाद खॉन पुत्र गुलाम गौस आयु 47 साल जाति मुसलमान निवासी शिकारगंज पेट्रोल पंप के पास करौली तहसील व जिला करौली राज.
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली राज.

—प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 31.01.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के पुश्तैनी खातेदारी में कब्जेकाश्त की आराजीयात खसरा नंबर 8074/1, 8081, 8082, 8095/2, 8096/2, 8899/2, 8101, 8102/2, 8103/2, 8121/2 कुल किता 10 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा पटवार हल्का नंबर 10 स्थित शिकारगंज कस्बा करौली तहसील व जिला करौली में है जो वादी के हक हिस्से खरीदारी की भूमि है। वादी व प्रतिवादी 1 व 2 के पिता का स्वर्गवास दिनांक 04.07.1991 में हो गया था और उक्त आराजीयात का विरासत नामंतरण हुआ था जिसमें गुलाम गौस के 3 पुत्र शेरयार, अशरफ, नौशाद खान, मक्खन वीवी उर्फ रक्खो वेवा गुलाम गोस के नाम विरासत नामंतरण तस्दीक हुआ था जबकि सहवन से भूलवश मौहम्मद अशरफ के स्थान पर नामांतरण में वादी का नाम शहजाद खान दर्ज हो गया क्योंकि वादी का घरेलू नाम शहजाद था जबकि प्रमाणित नाम मौहम्मद अशरफ है सहवन से नामंतरण में घरेलू नाम दर्ज हो गया जबकि शहजादे खान का [illegible] मौहम्मद अशरफ है यही नाम उसके समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड [illegible] स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसंस, पासपोर्ट मे दर्ज है नामांतरण दिनांक [illegible] की दस्तावेजों की प्रति वाद पत्र के साथ पेश की है उक्त नामांतरण का जमाबंदी में अमल हो चुका है वादी और

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.02.22 17:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी नंबर 1 व 2 की मां का स्वर्गवास हो चुका है वादी माननीय न्यायालय से इस अमर की घोषणा कराने का अधिकारी है राजस्व रिकॉर्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में मौहम्मद अशरफ के स्थान पर सहवन से भूलवश गलत नाम नामंतरण शहजाद खान दर्ज हो गया है वादी अपना नाम दुरुस्त करा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने का अधिकारी है वादी को दिनांक 18.04.2019 को नकल जमाबंदी लेने पर नाम गलत दर्ज होने की जानकारी हुई। तब वादी ने नकल नामान्तरण प्राप्त होने पर यह दावा पेश किया है अंत में दावा वादी डिक्री किए जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 ने जरिए वकील उपस्थित होकर जवाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजीयात कस्बा करौली में स्थित होना व पुश्तैनी होना स्वीकार है जिसमें वादी व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के पिता व मां मक्खन वीवी उर्फ रक्खो का स्वर्गवास होना सही है। वादी का सभी मुकदमों में नाम शहजाद ही दर्ज है लेकिन यदि उसका नाम दुरुस्त किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा कोई जवाव दावा पेश नहीं किया है।

वादी व प्रतिवादी नंबर एक व दो के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक बिंदू विरचित किये गये है।

1. आया विवादित आराजीयात खसरा नंबर 8074/1, 8081, 8082, 8095/2, 8096/2, 8899/2, 8101, 8102/2, 8103/2, 8121/2 कुल किता 10 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली वादी के हक हिस्से खातेदारी व कस्बे काश्त की है। —वादी
2. आया विवादीत आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम शहजाद गलत दर्ज हुआ है उसे हटवाने एवं वादी का नाम मोहम्मद अशरफ दुरुस्त करा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने का अधिकारी है एवं इसी अनुसार घोषणा करने का अधिकारी है। —वादी
3. आया विवादित आराजीयात दर्ज वाद पत्र में वादी का 1/3 हिस्सा हक खातेदारी है। —प्रतिवादी
4. अनुतोष

वाद विवाधक बिंदु वादी साक्ष्य ली गयी। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी मौहम्मद अशरफ PW1 व गवाह अब्दुल सईद PW2 के बयान कराए हैं एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 प्रर्दश–1, नकल नामान्तरण प्रर्दश–2, पासपोर्ट प्रर्दश 3/1 व ड्राइवर लाइसेंस प्रर्दश 4/1, परिचय पत्र प्रर्दश 5/1, राशन कार्ड प्रर्दश 6/1 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये है साक्ष्य वादी [illegible] की गई प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षी प्रतिवादी [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.02.22 17:58:34 IST
Reason: SelfAttested

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Scanned with CamScanner

वकील वादी का बहस में कथन है कि विवादित आराजीयात के वादी व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के पिता गुलाम गौस के मरने के बाद विरासत नामांतरण 5.10.1991 में वादी का नाम मौहम्मद अशरफ के स्थान पर शहजाद खान सहवन भूलवश गलत दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही नाम मौहम्मद अशरफ है यही नाम उसके दस्तावेजों में दर्ज हैं वादी व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 की मां मक्खन बीबी उर्फ रक्खो का स्वर्गवास हो चुका है। भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है। वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कराने का हकदार है।

वकील प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का बहस में कथन है कि वादी व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का भूमि में 1/3, 1/3 हिस्सा है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शहजाद खान के स्थान पर मौहम्मद अशरफ दुरुस्त किए जाने में प्रतिवादी गण को कोई एतराज नहीं है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का अवलोकन कर विवेचन किया गया।

विवाधक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर है वादी ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 प्रर्दश–1 व नकल नामांतरण दिनांक 5.10.1991 प्रर्दश–2 की प्रमाणित प्रति व पासपोर्ट प्रर्दश– 3/1, ड्राइवर लाइसेंस प्रर्दश 4/1 व परिचय पत्र प्रर्दश 5/1 व राशन कार्ड प्रर्दश 6/1 की फोटो प्रतियां पेश की है व मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी व गवाह अब्दुल सईल के बयान कराये है जिससे भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा हक खातेदारी होना व वादी का नाम शहजाद खान के स्थान पर मौहम्मद अशरफ होना साबित है जिसकी खंडन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अतः विवाधक संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाधक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी नंबर 1व 2 पर है परंतु उन्होंने इस संबंध में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये है परंतु जमाबंदी में वादी व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का 1/3, 1/3 हक हिस्सा उनकी मां के स्वर्गवास हो जाने से प्रमाणित है अतः विवाधक संख्या 3 इसी अनुसार निर्णित कर तय किया जाता है।

विवाधक संख्या 4 अनुतोष है विवाधक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से वाद ग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी नं 1 व 2 की पुश्तैनी सामान हक 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदारी की होना व वादी का नाम नामांतरण में मौहम्मद अशरफ के स्थान पर शहजाद खान गलत सहवन भूल से दर्ज होना प्रकट होता है। वादी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपना नाम शहजाद खान के स्थान पर मौहम्मद अशरफ दुरुस्त कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम मौहम्मद अशरफ अमल कराने की हकदार है दावावादी डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.02.22 17:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(5)

अतः दावावादी विक्रय प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 8074/1, 8081, 8082, 8095/2, 8096/2, 8899/2, 8101, 8102/2, 8103/2, 8121/2 कुल किता 10 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपना नाम शहजाद खान के स्थान पर मौहम्मद अशरफ दुरुस्त कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने का अधिकारी है शहजाद खान नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 3 वादी के हक में इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज अमल करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 31/01/2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.02.22 17:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner